बिहार सरकार
उद्योग विभाग

3 / उ०स्था०(आरोप)12 / 2008

अधिसूचना

श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा(सम्प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर) के विरूद्ध एम0एस0एम0ई0 योजना के तहत 19(उन्नीस) ऋण आवेदन पत्रों को बिना समुचित जाँच, पर्यवेक्षण और निगरानी के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ओईयॉव को अग्रसारित करने, अनपढ़ एवं निर्धन ग्रामीणों के नाम पर अनियमित तरीके से शाखा प्रबंधक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ओईयॉव और बिचौलिया राजीव कुमार गुप्ता के साथ सांठ–गांठ कर ऋण रकम की अवैध निकासी तथा योजना का लाभ वास्तविक व्यक्तियों तक पहुँचाने में बाधा डालने संबंधी आरोप–पत्र पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–564 दिनांक 06–02–2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा श्री मदन मोहन सिंह, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी बनाया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत मामले में आरोप का आधार प्रभावित ग्रामीणों का आवेदन–पत्र (जिसमें मुख्य रूप से श्री राजीव कुमार गुप्ता, ग्राम–चेरो, सरमेरा एवं मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ओईयांव के शाखा प्रबंधक का उल्लेख है) तथा श्री राजीव कुमार सिंह, बि0प्र0से0, जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जाँचोपरांत यह पाया गया कि (1) सभी आवेदक एक ही ग्राम–चकडीह के हैं तथा सभी आवेदन पत्र समान रूप से लिखे गए हैं, जिसमें गारन्टर राजीव कुमार गुप्ता, सचिव, सिंदुरिया, स्वयं सहायता समूह है। (2) जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा की निर्गत पंजी में आवेदनों को भेजे जानेवाला पत्रांक व दिनांक सही नहीं है, लेकिन दिसम्बर माह में भेजे जानेवाला पत्रांक व दिनांक सही है तथा इस माह में बैंक शाखा में प्राप्ति का प्रमाण भी अंकित है। (3) अक्टूबर, 2010 में प्रेषित आवेदनों में सहायक के हस्ताक्षर तथा उद्योग विस्तार पदाधिकारी का तकनीकी प्रतिवेदन में हस्ताक्षर समान है परन्तु महाप्रबंधक का हस्ताक्षर भिन्न है। (4) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, नालन्दा के साथ–साथ अन्य कर्मियों की बिचौलिया श्री राजीव कुमार गुप्ता, सचिव, सिंदुरिया स्वयं सहायता समूह एवं सिंदुरिया ट्रेनिंग कंपनी, बिहारशरीफ के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु ऋण की स्वीकृति कर तथा दिशा–निर्देशों की अवहेलना कर बैंक की राशि का गबन किया गया।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह कहा गया है कि (1) जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका मात्र आवेदन पत्रों को बैंक में अग्रसारित करना था तथा ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा अपने स्तर से जाँच कर संतुष्ट होने पर की जाती थी। (2) बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना जिला उद्योग केन्द्र को नहीं दी जाती थी तथा इस संबंध में किसी भी गड़बड़ी या गबन के लिए बैंक पूर्ण रूप से दोषी है।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संदर्भ में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा यह मत अंकित किया गया है कि श्री रामचन्द्र सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों की संपुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं तथा कार्यालय प्रधान होने के कारण इस मामले में उनकी जवाबदेही बनती है तथा इस आधार पर आरोप प्रमाणित पाये गये।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–564 दिनांक 06–02–2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों पर एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्राप्त कारण पृच्छा के सम्यंक समीक्षोपरोंत आरोप प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, भाग–V, नियम–14(ix), संशोधित नियमावली, 2007 के नियम–14(X) के प्रावधान के तहत श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा सम्प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा सम्प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोप की गंभीरता तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, भाग–V, नियम–14(ix), संशोधित नियमावली–2007 के नियम–14(x) के प्रावधान के तहत श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा सम्प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

3/उ०स्था०(आरोप)12/2008

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1034 पटना, दिनांकः– 29-02-2016

3/उ०स्था०(आरोप)12/2008

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/श्री रामचन्द्र सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर/प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर/सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण), भागलपुर/प्रबंधक, पॉलिस्टर सिल्क वस्त्र उत्पादन सह–प्रशिक्षण केन्द्र, भागलपुर/प्रबंध निदेशक, सहकारिता सूता मिल, भागलपुर/प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को तुरत विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

ह0 29/2/2016
सरकार के उप सचिव

29.2.16